



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2009/ज्येष्ठ, 8, 1931

No. 313]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2009/JYAISTHA 8, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2009

सा.का.नि. 368(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के विशेष सचिव-सह-महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (विशेष सचिव-सह-महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) ये पद केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी संगठित सेवा के काडर का भाग नहीं होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता.—यह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

प्र. क्र. नाम	पदों की संख्या	दर्जाकरण	वेतनमान	दत्तन पद अथवा अन्य पद	रोवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
विशेष सचिव-सह-महानिदेशक	01 *	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचितीय	80000 /-रु (नियत)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	7
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिधीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
लागू नहीं होता।	8	10
	9	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली शक्तियों की	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां विनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रतिशतता ।	11	12
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति	<p>समतुल्य ग्रेड या उच्च प्रशासनिक ग्रेड + 75500-80000 /- रुपए (24050-650-28000 /- रू के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान) के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने समतुल्य / श्रेणी उच्च प्रशासनिक ग्रेड + 75500-80000/- रुपए (24050-650-28000 /- रू के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान) और 12000 /- रू (22400-525-24500 /- रू का पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान) के ग्रेड वेतन वाले 37400-67000 /- रू के वेतन बैंड-4 में कम से कम दो वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है ;</p> <p>या</p> <p>12000 /- रू (22400-525-24500 /- रू के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान) के ग्रेड वेतन वाले 37400-67000 रू के वेतन बैंड-4 में नियमित आधार पर नियुक्त केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 2 वर्ष की नियमित सेवा की है ;</p> <p>और</p> <p>जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएँ हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की क्षेत्र विरचना में कम से कम दस वर्ष के + अनुभव के साथ केन्द्रीय सरकार में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को प्रशासित करने तथा उसे चलाने का कम से कम बीस वर्ष का अनुभव रखता हो ; उच्च वृत्तिक गुणगुण और उत्कृष्टता रखता हो ; सत्यनिष्ठा की त्रुटिहीन ख्याति रखता हो । <p>टिप्पण 1 :- ऐसी सिक्ति के संबंध में, जिसके लिए चयन किया जाता है, नियुक्ति की संभाव्य तारीख को दो वर्ष से कम की अवशिष्ट सेवा वाला व्यक्ति चयन के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा ।</p>

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठ बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
<p>13</p> <p>लागू नहीं होता</p> <p>तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i). मंत्रिमंडल सचिव (ii). प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव (iii). गृह सचिव (iv). सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य (v). सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य <p>टिप्पण : पद के संबंध में कार्य की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए चयन समिति अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने के लिए उपाय कर सकेगी।</p>	<p>14</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. 50/15/2008-प्रशा. I]

जी. श्रीकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2009

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Special Secretary-cum-Director General of the Central Economic Intelligence Bureau in the Department of Revenue under the Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Economic Intelligence Bureau (Special Secretary-cum-Director General) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay. - (1) The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

(2) These posts shall not form part of the cadre of any organized Service under the Central Government.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that if the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

2042 GI/09-2

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Selection- or non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special Secretary-cum-Director General	01 (2009)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 80,000/- (fixed)	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled in by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	(12)	If a Departmental Commission is appointed, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Deputation	<p>(12)</p> <p>Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the equivalent grade or in the HAG + scale of Rs.75,500 - 80,000/- (pre-revised scale of Rs.24,050-650-26,000) with at least two years of combined regular service in the equivalent grade/ HAG+ Pay Band of Rs.75,500 - 80,000/- (pre-revised scale of Rs.24,050-650-26,000) and PB 4 of Rs.37,400-67,000/- with Grade pay of Rs.12,000/- (pre-revised scale of Rs.22,400-525-24,500);</p> <p>or</p> <p>Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the PB 4 of Rs.37,400-67,000/- with the Grade Pay of Rs.12,000/- (pre-revised scale of Rs.22,400-525-24,500/-) with at least 2 years of regular service in the grade; and</p> <p>possessing the following essential qualifications:-</p> <p>(i) having at least twenty years of experience in administering and running the indirect tax administration in the Central Government with at least ten years experience in the field formations of Central Board of Excise and Customs;</p> <p>(ii) having high professional merit and excellence; and</p> <p>(iii) having impeccable reputation of integrity.</p>	<p>(13)</p> <p>Not applicable;</p> <p>However, a Selection Committee with the following composition shall make selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government:</p> <p>(i) Cabinet Secretary - Chairman;</p> <p>(ii) Principal Secretary to Prime Minister - Member;</p> <p>(iii) Home Secretary - Member;</p> <p>(iv) Secretary (Personnel) Department of Personnel and Training - Member;</p> <p>(v) Secretary, Department of Revenue - Member;</p> <p>Note: The Selection Committee may devise ways to assess candidates keeping in view the job requirement for the post.</p>	<p>(14)</p> <p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary</p>